**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-808**

**दिनांक 24 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ**

**बैटरी स्वैपिंग स्टेशन**

**808. श्री नारायण तातू राणेः**
**श्री शशांक मणिः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बैटरी-स्वैपिंग स्टेशनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या सरकार की इस योजना का विस्तार करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन दिशानिर्देशों को लागू करने और राज्य सरकारों के साथ सहयोग करने के लिए कोई रणनीति तैयार की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैटरी-स्वैपिंग स्टेशन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से स्थित हों,

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है और चिन्हित किए स्थान, यदि कोई हो, कौन-कौन से हैं;

(ङ) सरकार बैटरी-स्वैपिंग अवसंरचना के विस्तार में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भूमिका को किस रूप में देखती है:

(च) निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्तावित प्रोत्साहनों या कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या बिजली जीविका का एक महत्वपूर्ण घटक है?

**उत्तर**

**विद्युत राज्य मंत्री**
**(श्री श्रीपाद नाईक)**

**(क) :** ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 1 जुलाई 2025 तक, देश भर में 2611 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन (बीएसएस) स्थापित किए जा चुके हैं। राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध** पर दिया गया है।

**(ख) से (घ) :** बीएसएस की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने 10 जनवरी 2025 को जारी अपने दिशानिर्देश में बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशनों की संस्थापना और

संचालन हेतु राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और प्रमुख सड़कों के दोनों ओर तथा निर्दिष्ट शहरी क्षेत्रों में बीएसएस स्थापित करने की सिफारिश की है।

इन दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों को शामिल करते हुए प्रमुख सुझाव हैं:

(i) ऊर्जा प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय संचालन समिति, जिसमें परिवहन, नगर प्रशासन और शहरी विकास सचिव और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल होंगे, राज्य स्तर पर बीएसएस अवसंरचना के कार्यान्वयन की योजना बनाएगी और उसकी निगरानी करेगी।

(ii) प्रत्येक राज्य एक राज्य नोडल एजेंसी नियुक्त करेगा जो बीएसएस के लिए विद्युत कनेक्शन की सुविधा प्रदान करने हेतु डिस्कॉम और राज्य विद्युत विनियामक आयोग के साथ समन्वय स्थापित करेगी।

(iii) अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय की अध्यक्षता में एक केंद्रीय संचालन समिति, जिसमें संबंधित मंत्रालयों के सदस्य, राज्य प्रतिनिधि, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) शामिल होंगे जो समय-समय पर दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी।

(iv) दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए बीईई डिस्कॉम और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेंगी।

**(ङ) और (च) :** दिशानिर्देश बैटरी स्वैपिंग अवसंरचना के विस्तार में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भूमिका पर ज़ोर देते हैं। बीएसएस की स्थापना को लाइसेंस-मुक्त गतिविधि घोषित किया गया है, जिससे व्यवसायों के लिए प्रक्रिया सरल हो गई है।

किफ़ायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने के लिए, यह सुझाव दिया गया है कि सार्वजनिक सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं को राजस्व-साझाकरण मॉडल पर 1 रुपए प्रति किलोवाट घंटा की दर से सार्वजनिक भूमि उपलब्ध कराई जाए। निजी संस्थाओं के लिए, भूमि 1 रुपए प्रति किलोवाट घंटा के न्यूनतम मूल्य पर प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके अतिरिक्त, बीएसएस की स्थापना के लिए सरकारी भूमि से संबंधित सार्वजनिक निविदाओं को प्रौद्योगिकी तटस्थ रखने का सुझाव दिया गया है। राज्य सरकारों को बीएसएस के लिए चौबीसों घंटे संचालन की अनुमति देने की सलाह दी गई है।

**(छ) :** विद्युत अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की रिपोर्ट के अनुसार, कुल अंतिम ऊर्जा खपत में विद्युत का योगदान लगभग 22.2% है।

**********

**लो.स.अतारां.प्र.सं. 808**

**अनुबंध**

**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तैनात बैटरी स्वैपिंग स्टेशन (बीएसएस)**

| क्रम सं. | राज्य | बीएसएस की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 2 |
| 2 | बिहार | 48 |
| 3 | दिल्ली | 878 |
| 4 | हरियाणा | 171 |
| 5 | कर्नाटक | 347 |
| 6 | केरल | 20 |
| 7 | मध्य प्रदेश | 2 |
| 8 | महाराष्ट्र | 24 |
| 9 | ओडिशा | 2 |
| 10 | पंजाब | 22 |
| 11 | राजस्थान | 104 |
| 12 | तेलंगाना | 146 |
| 13 | उत्तर प्रदेश | 839 |
| 14 | उत्तराखंड | 5 |
| 15 | पश्चिम बंगाल | 1 |
| **कुल** | | **2,611** |

**********